नईदुनिया

संपादकीय

अंधेरा मुफ्त और बिल में करंट बिजली कंपनियों की नाकामी

मध्यप्रदेश में बिजली को लेकर जो हालात बने हैं, वे किसी मजाक से कम नहीं हैं। एक तरफ सरकार 24 घंटे बिजली देने के बड़े-बड़े दावे करती है, दूसरी तरफ शहरों से लेकर गांवों तक अघोषित कटौती ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। गर्मी के इस मौसम में बिजली की कमी से आमजन, किसान और छोटे व्यापारी सबसे अधिक परेशान हैं। विडंबना यह है कि बिजली कम मिल रही है, लेकिन बिलों का करंट लगातार बढ़ता जा रहा है।

भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में भी रोज चार से छह घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। ट्रांसफार्मर खराब होने के नाम पर मोहल्लों में घंटों अंधेरा रहता है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, मरीज गर्मी से बेहाल हैं और छोटे दुकानदार इन्वर्टर व जनरेटर के अतिरिक्त खर्च से परेशान हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करने वाले शहर आज बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति इससे भी बदतर है। किसानों को सिंचाई के लिए रात में आठ घंटे बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन लोड शेडिंग के कारण मोटरें नहीं चल पा रहीं। धान और सोयाबीन की फसलें पानी के अभाव में प्रभावित हो रही हैं। किसान डीजल खरीदकर सिंचाई करने को मजबूर हैं। दूसरी ओर बिजली कंपनियां फ्यूल सरचार्ज और पावर परचेज एडजस्टमेंट के नाम पर बिल बढ़ा रही हैं। किसान को न समय पर बिजली मिल रही है और न ही उसकी लागत का उचित मूल्य।

सबसे बड़ा सवाल बिजली बिलों को लेकर है। बिजली उत्पादन में गिरावट आने के बावजूद उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त सरचार्ज का बोझ डाला जा रहा है। 200 से 500 यूनिट तक के बिलों में 87 रुपए से लेकर 300 रुपए तक अतिरिक्त राशि जोड़ी जा रही है। यानी बिजली कम मिली, लेकिन भुगतान ज्यादा करना पड़ रहा है। कंपनियां कोयले और गैस की बढ़ी कीमतों का तर्क देती हैं, जबकि उत्पादन और आपूर्ति में कमी उनकी योजना और प्रबंधन की कमजोरियों को उजागर करती है।

मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को दूर करने के लिए नई उत्पादन इकाइयों, बेहतर रखरखाव और लाइन लॉस रोकने की दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं हुए। इसका खामियाजा ईमानदार उपभोक्ता भुगत रहा है। बिजली आज विलासिता नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और कृषि की बुनियादी जरूरत है।

सरकार को बिजली कंपनियों की कार्यप्रणाली की उच्चस्तरीय जांच करानी चाहिए, उत्पादन बढ़ाने के ठोस उपाय करने चाहिए और सरचार्ज के नाम पर जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने की प्रवृत्ति रोकनी चाहिए। बिलिंग व्यवस्था पारदर्शी हो, कटौती का समय पहले से घोषित किया जाए और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाए। जनता का सीधा सवाल है— यदि पूरी बिजली नहीं दे सकते तो पूरा बिल क्यों? मध्यप्रदेश की जनता अब अंधेरे और महंगे बिल, दोनों से मुक्ति चाहती है।

डॉ. मोहन का जन विश्वास अभियान बदलेगा सुशासन की तस्वीर

डॉ. शिशिर उपाध्याय

मध्यप्रदेश में सुशासन को जमीनी स्तर तक ले जाने और सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक बड़े और व्यापक जन विश्वास अभियान की घोषणा की है। यह अभियान अगस्त माह से प्रारंभ होगा और छह माह तक लगातार चलेगा, यानी जनवरी 2027 तक प्रदेश के हर जिले, हर ब्लॉक और हर गांव में सरकार की मौजूदगी महसूस की जाएगी। इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें केवल अधिकारी ही नहीं, बल्कि मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री भी मैदान में उतरेंगे तथा जनता से सीधा संवाद करेंगे। अभियान की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा चुका है और अब इसे प्रदेशभर में लागू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं।

जन विश्वास अभियान का मूल उद्देश्य यह है कि सरकार और जनता के बीच जो दूरी वर्षों से बनी हुई है, उसे समाप्त किया जाए। आज भी कई गांव ऐसे हैं, जहां सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंच पाती या फिर जानकारी होने के बाद भी उसका लाभ लेने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल तक घूमती रहती हैं और आम आदमी भटकता रहता है। इस अभियान के माध्यम से सरकार ने तय किया है कि अब अफसर और मंत्री जनता के दरवाजे पर जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही समाधान का प्रयास करेंगे। इसके लिए पूरे प्रदेश में टीमों का गठन किया जाएगा, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।

अभियान के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इसमें फीडबैक लिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह केवल औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि हर शिकायत, हर आवेदन और हर समस्या का रिकॉर्ड रखा जाएगा तथा उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। यदि किसी गांव में पेयजल की समस्या है, तो उसे तुरंत संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। यदि किसी किसान को खाद, बीज या ऋण में दिक्कत है, तो कृषि विभाग के अधिकारी उसी समय समाधान बताएंगे। यदि कोई पात्र व्यक्ति पेंशन या आवास योजना से वंचित है, तो उसका नाम सूची में जोड़ा जाएगा। इस तरह यह अभियान केवल सुनने का नहीं, बल्कि करने का अभियान होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अभियान को सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उनका कहना है कि सरकार जनता के लिए है और जनता की समस्याएं ही सरकार की प्राथमिकता हैं। पिछले कई वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है, जब जमीनी स्तर पर निगरानी हो और जनता को लगे कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इसी सोच के साथ जन विश्वास अभियान तैयार किया गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और महिला सशक्तीकरण जैसी सभी प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की जाएगी तथा यह देखा जाएगा कि लाभार्थियों को वास्तव में लाभ मिल रहा है या नहीं।

इस अभियान की एक और बड़ी विशेषता यह है कि इसमें तकनीक का भी भरपूर उपयोग किया जाएगा। हर टीम के पास टैबलेट और मोबाइल एप होंगे, जिनके माध्यम से वे मौके पर ही डेटा फीड करेंगे, फोटो खींचेंगे और रिपोर्ट अपलोड करेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी जानकारी छिपे नहीं और सही फीडबैक शीर्ष स्तर तक पहुंचे। इसके अलावा एक हेल्पलाइन और पोर्टल भी बनाया जाएगा, जहां आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और उसकी स्थिति जान सकेंगे। पारदर्शिता लाने के लिए हर महीने अभियान की प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, ताकि जनता को पता चल सके कि उनके क्षेत्र में कितना काम हुआ है।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह अभियान महत्वपूर्ण है। आगामी समय में पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार जनता के बीच जाकर अपनी उपलब्धियां बताना चाहती है और साथ ही यह भी जानना चाहती है कि जनता की अपेक्षाएं क्या हैं। विपक्ष भले ही इसे चुनावी स्टंट कहे, लेकिन यदि इस अभियान से वास्तव में एक भी गरीब को उसका अधिकार मिल जाता है, तो यह प्रयास सार्थक माना जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब भी सरकार जनता के बीच गई है और उनकी बात सुनी है, तब सुशासन की जड़ें मजबूत हुई हैं।

जिला प्रशासन को भी इस अभियान की सफलता की जिम्मेदारी दी गई है। कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिले में अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी अधिकारी लापरवाही न करे। यदि किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत आती है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। वहीं, अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा, ताकि सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का माहौल बने। पंचायत स्तर पर सरपंच और सचिवों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वही सबसे पहले जनता के संपर्क में आते हैं। सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा, ताकि वे सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य कर सकें। मीडिया की भूमिका भी अहम होगी, क्योंकि उसके माध्यम से ही लोगों को पता चलेगा कि अभियान के तहत क्या हो रहा है और वे इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। सरकार ने अपील की है कि लोग इस अभियान को अपना अभियान समझें और बढ़-चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि अंततः यह उनके अपने हित की बात है।

जन विश्वास अभियान मध्यप्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। जब सरकार जनता के बीच जाएगी और जनता सरकार के सामने अपनी बात रखेगी, तो विश्वास की नींव और मजबूत होगी। योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचेगा तथा भ्रष्टाचार और लापरवाही पर भी अंकुश लगेगा। चुनौतियां बहुत हैं, संसाधनों की कमी है, दूर-दराज के इलाके हैं और सबसे बड़ी चुनौती कार्य संस्कृति में बदलाव की है। लेकिन यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अगस्त से शुरू होने वाला यह छह माह का सफर प्रदेश को बेहतर सुशासन की दिशा में आगे ले जाएगा और यही इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता होगी।

गांव-गांव पहुंचेगी सरकार की योजनाएं

महंगी एमबीबीएस फीस रोक रही है मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य सपने

स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी है तो चिकित्सा शिक्षा को सस्ता करना होगा

मध्यप्रदेश की 8 करोड़ से अधिक आबादी को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना आज सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बीते दो दशकों में राज्य ने सड़क, बिजली और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब जब हम प्रगतिशील और उन्नत प्रदेश बनने की दौड़ में हैं, तो यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या हमारे पास इतने डॉक्टर हैं, जो हर गांव, हर ब्लॉक और हर जिले में लोगों का इलाज कर सकें? क्या हमारे मेडिकल कॉलेज इतने हैं कि हर मेधावी छात्र को डॉक्टर बनने का अवसर मिल सके? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक मध्यमवर्गीय परिवार का बेटा या बेटी अपने दम पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकता है? इन सवालों का जवाब आंकड़ों में तलाशने पर एक कठोर सच्चाई सामने आती है। देश में एमबीबीएस की सबसे अधिक फीस आज मध्यप्रदेश में है और यही राज्य के स्वास्थ्य भविष्य की सबसे बड़ी बाधा बनती जा रही है।

आज मध्यप्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई पर 50 लाख से एक करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। सरकारी कॉलेजों में भी फीस और अन्य खर्च मिलाकर 15 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं। यह राशि किसी किसान, शिक्षक या छोटे व्यापारी के लिए लगभग असंभव है। नतीजा यह है कि हर साल हजारों मेधावी छात्र नीट परीक्षा पास करने के बाद भी डॉक्टर नहीं बन पाते, क्योंकि उनके माता-पिता इतनी फीस नहीं दे सकते। वे या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, दूसरे राज्यों में सस्ती शिक्षा तलाशते हैं या विदेश चले जाते हैं। इस तरह मध्यप्रदेश अपना ही प्रतिभाशाली मानव संसाधन खो देता है।

स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी चिंताजनक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार हर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन मध्यप्रदेश में यह अनुपात काफी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी और सीएचसी में डॉक्टरों के अनेक पद खाली पड़े हैं। जो डॉक्टर नियुक्त होते भी हैं, वे कुछ वर्षों बाद बड़े शहरों या निजी अस्पतालों का रुख कर लेते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि महंगी पढ़ाई के कारण उन पर भारी कर्ज होता है, जिसे चुकाने के लिए वे अधिक आय वाले विकल्प चुनते हैं।

यदि सरकार सचमुच स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती है, तो सबसे पहले चिकित्सा शिक्षा को सस्ता करना होगा। शिक्षा महंगी होगी तो डॉक्टर कम बनेंगे और डॉक्टर कम होंगे तो अस्पतालों की इमारतें और आधुनिक मशीनें भी बेकार साबित होंगी। सरकार ने पिछले वर्षों में नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं और आधारभूत ढांचे पर निवेश भी बढ़ाया है, लेकिन जब तक फीस आम परिवार की पहुंच में नहीं आएगी, तब तक इस विस्तार का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा।

पड़ोसी राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस मध्यप्रदेश की तुलना में कम है। कई राज्यों ने निजी कॉलेजों की फीस नियंत्रित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई है। मध्यप्रदेश भी ऐसा मॉडल अपना सकता है। सरकार निजी कॉलेजों को रियायतें देकर उनसे यह अनुबंध कर सकती है कि वे कम-से-कम 50 प्रतिशत सीटों पर सरकारी कॉलेजों के समान शुल्क लें। इससे हजारों प्रतिभाशाली छात्रों को राहत मिलेगी।

छात्रवृत्ति और शिक्षा ऋण की व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है। वर्तमान शिक्षा ऋण महंगे हैं और गारंटी की शर्तें भी कठिन हैं। सरकार डॉक्टर बनने वाले छात्रों के लिए कम ब्याज वाली विशेष शिक्षा ऋण योजना शुरू कर सकती है। यदि कोई छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद निश्चित अवधि तक ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करे, तो उसका ऋण आंशिक या पूर्ण रूप से माफ किया जा सकता है। इससे गरीब छात्रों को अवसर मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता भी बढ़ेगी।

मध्यमवर्ग इस देश की रीढ़ है। एक किसान का बेटा, सरकारी कर्मचारी की बेटी या छोटे दुकानदार का बच्चा यदि मेधावी है, तो उसे डॉक्टर बनने का समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन जब फीस ही इतनी अधिक होगी, तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। यह केवल एक परिवार का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे समाज का नुकसान है, क्योंकि हर नया डॉक्टर हजारों लोगों के बेहतर स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। पिछले दो दशकों में मध्यप्रदेश ने विकास के कई नए आयाम स्थापित किए हैं, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभी लंबा सफर बाकी है। यदि हम वास्तव में उन्नत प्रदेश बनना चाहते हैं, तो यह स्वीकार करना होगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा व्यापार नहीं, बल्कि जनसेवा हैं। एमबीबीएस की फीस कम करना केवल छात्रों को राहत देना नहीं, बल्कि 8 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य भविष्य को सुरक्षित करना है।

सरकार को तत्काल सभी मेडिकल कॉलेजों की फीस संरचना की समीक्षा कर एक समान और तर्कसंगत नीति लागू करनी चाहिए। निजी कॉलेजों से संवाद कर उन्हें इस प्रयास में सहभागी बनाया जाए और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाए, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को कम खर्च में चिकित्सा शिक्षा मिल सके।

एक स्वस्थ मध्यप्रदेश का सपना तभी पूरा होगा, जब हर गांव में डॉक्टर होगा और हर डॉक्टर मध्यप्रदेश का होगा। यह तभी संभव है, जब राज्य अपने ही मेधावी युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर दे। सरकार की प्राथमिकता यदि स्वास्थ्य है, तो उसकी शुरुआत चिकित्सा शिक्षा को सुलभ और किफायती बनाने से ही होनी चाहिए। सस्ती चिकित्सा शिक्षा ही भविष्य में सस्ता और सुलभ स्वास्थ्य सुनिश्चित करेगी और यही एक प्रगतिशील तथा उन्नत मध्यप्रदेश की पहचान बनेगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

आजकल

समुद्र के नीचे मेट्रो संभव तो सड़कें क्यों नहीं?

हाईकोर्ट की टिप्पणी ने खोल दी प्रशासन की पोल

मध्यप्रदेश की सड़कों की खस्ताहाल स्थिति अब केवल जनता की शिकायत का विषय नहीं रह गई है, बल्कि न्यायालय के कठघरे में पहुंच चुकी है। जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पूछा कि जब न्यूक्लियर पावर प्लांट बन सकते हैं और समुद्र के नीचे मेट्रो चल सकती है, तो टिकाऊ सड़कें क्यों नहीं बन सकतीं? यह सवाल पूरे सिस्टम की नाकामी को उजागर करता है।

प्रदेश की सड़कों का हाल किसी से छिपा नहीं है। बरसात में गड्ढे तालाब बन जाते हैं और गर्मी में वही गड्ढे दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। याचिका के अनुसार, वर्ष 2020 से 2023 के बीच मध्यप्रदेश सड़क हादसों में देश में दूसरे स्थान पर रहा। वर्ष 2023 में गड्ढों से जुड़े हादसों में 31.4 प्रतिशत वृद्धि हुई और 5,840 दुर्घटनाओं में 2,161 लोगों की जान चली गई। ये केवल आंकड़े नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की त्रासदी हैं।

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एनएचएआई, एमपीआरडीसी और नगरीय प्रशासन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लेकिन जनता जानती है कि हर बार बजट, बरसात या ठेकेदारों के बहाने सामने आते हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद टिकाऊ सड़कें क्यों नहीं बन रहीं, इसका जवाब अब देना ही होगा।

याचिकाकर्ता ने पुणे की 50 वर्ष पुरानी सड़क का उदाहरण देते हुए पूछा कि जब उस समय टिकाऊ सड़क बन सकती थी, तो आज आधुनिक तकनीक के दौर में मध्यप्रदेश में क्यों नहीं? यह केवल इंजीनियरिंग का नहीं, बल्कि नीयत और जवाबदेही का प्रश्न है।

सरकार को केवल जवाब दाखिल करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सड़क निर्माण और मरम्मत में गुणवत्ता सुनिश्चित करने, थर्ड पार्टी ऑडिट कराने और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यदि देश समुद्र के नीचे मेट्रो और अंतरिक्ष में यान भेज सकता है, तो अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित और टिकाऊ सड़कें बनाना भी संभव है। जरूरत केवल इच्छाशक्ति, पारदर्शिता और जवाबदेही की है।

स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी...

पुण्यतिथि 31 जुलाई

गोपाल कृष्ण छिब्बर

ना फ़नकार तुझ-सा तेरे बाद आया,
मोहम्मद रफ़ी, तू बहुत याद आया।

मोहम्मद रफ़ी को हमसे जुदा हुए 46 वर्ष हो चुके हैं, परंतु उनके सदाबहार गीत, ग़ज़लें, भक्ति गीत और क़व्वालियाँ यही एहसास कराती हैं कि वे आज भी कहीं आसपास हैं।

उनका गाया फिल्म आसपास का गीत, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा और लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया, आज भी उन्हें जीवंत कर देता है। गीत है-

तेरे आने की आस है दोस्त,
शाम फिर क्यों उदास है दोस्त।
महकी-महकी फ़िज़ा कहती है,
तू कहीं आसपास है दोस्त।

सुबह-सुबह आप रेडियो पर मोहम्मद रफ़ी के भजन प्रतिदिन सुन सकते हैं और दिनभर उनके मधुर गीत-संगीत का आनंद लेते रहते हैं। शाम को कोई भी संगीत का कार्यक्रम मोहम्मद रफ़ी के गीतों के बिना अधूरा है।

1950 से 1970 तक गीत-गायन में उनका एकछत्र राज रहा। संगीतकार नौशाद, मदन मोहन, ओ. पी. नैय्यर और रवि के सर्वाधिक गीत रफ़ी साहब ने ही गाए। इतना ही नहीं, शंकर-जयकिशन ने भी राज कपूर की फिल्मों को छोड़ दें तो मोहम्मद रफ़ी को ही प्राथमिकता देकर गीत गवाए। दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार के अधिकतम गीत रफ़ी साहब ने ही गाए।

रफ़ी साहब को छह फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार प्राप्त हुए।

1961 में फिल्म चौदहवीं का चाँद का गीत, जिसे शकील बदायूंनी ने लिखा और संगीतकार रवि ने संगीत से सजाया, उसके बोल हैं-

चौदहवीं का चाँद हो या आफ़ताब हो,
जो भी हो, खुदा की कसम लाजवाब हो।

आज भी प्रेमिका के सौंदर्य का यह सर्वश्रेष्ठ गीत है।

इसी तरह 1962 में हसरत जयपुरी द्वारा रचित और शंकर-जयकिशन की धुन पर बना गीत-

तेरी प्यारी-प्यारी सूरत को
किसी की नज़र न लगे, 'चश्मे-बद्दूर'

शब्द की विशेषता को परिभाषित करने के अंदाज़ का कोई जवाब नहीं है।

1965 में फिल्म दोस्ती का गीत, जिसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा और संगीतकार लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने सुमधुर संगीत से सजाया-

चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे,
फिर भी न तेरे नाम से
आवाज़ मैं न दूँगा।

इस गीत में समर्पण का जो भाव रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ में व्यक्त किया है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता।

1967 में हसरत जयपुरी द्वारा रचित और शंकर-जयकिशन द्वारा कालजयी बनाया गया गीत, जो भारत ही नहीं, विश्व में भी विवाह उत्सव का अंग है-

बहारों फूल बरसाओ,
मेरा महबूब आया है।

1969 में पुनः हसरत जयपुरी द्वारा रचित और शंकर-जयकिशन द्वारा संगीत से सजा गीत-

दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर,
रखूँगा मैं दिल के पास,
मत हो मेरी जान उदास।

यह प्रेम और विरह की अद्भुत अभिव्यक्ति का आभास कराता है।

1969 के बाद, नौ वर्ष पश्चात 1978 में फिल्म हम किसी से कम नहीं का मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और राहुल देव बर्मन के संगीत से सजा गीत-

क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा,
भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें,
वो दिन ज़िंदगी का आख़िरी दिन होगा।

अतीत और वर्तमान का अनुपम उदाहरण है।

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 1969 में राजेश खन्ना की फिल्म आराधना के आगमन से किशोर कुमार की माँग बढ़ गई और रफ़ी साहब के गीत कम हो गए। परंतु 1970 के बाद भी मुश्किल रागों के गीत संगीतकारों ने मोहम्मद रफ़ी से ही गवाए। स्वयं किशोर कुमार संगीतकारों से कहते थे कि मुश्किल क्लासिकल गीत रफ़ी साहब से ही गवाएँ, मेरी रेंज उनके समान नहीं है।

क्या कोई कल्पना कर सकता है कि फिल्म बैजू बावरा के गीत-

'मन तड़पत हरि दर्शन को आज'
'ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले'
'तू गंगा की मौज, मैं जमुना का धारा'

रफ़ी साहब के अलावा कोई गा सकता था।

मोहम्मद रफ़ी ने सात हजार से अधिक गीत गाए, जिनमें विभिन्न भाषाओं के गीत शामिल हैं। 1967 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उन्हें अनेक संस्थाओं ने भी सम्मानित किया। फिल्म क्रोध में मोहम्मद रफ़ी पर आनंद बख्शी जी द्वारा लिखे गीत को लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने संगीतबद्ध कर श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया। यह गीत अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया है, जिसे मोहम्मद अज़ीज़ ने गाया है। यह रफ़ी साहब के व्यक्तित्व का मार्मिक चित्रण है। आनंद बख्शी जी लिखते हैं-

ना फ़नकार तुझ-सा तेरे बाद आया,
मोहम्मद रफ़ी, तू बहुत याद आया।
सुरों की सुरीली वो परवाज़ तारीख़,
बहुत खूबसूरत आवाज़ तेरी।
ज़माने को जिसने दीवाना बनाया,
मोहम्मद रफ़ी, तू बहुत याद आया।
तेरे ग़म के चर्चे बहुत पुराने,
तुझसे बिछड़े हुए ज़माने।
तेरा नाम कोई नहीं भूल पाया,
मोहम्मद रफ़ी, तू बहुत याद आया।
चले जाएँगे हम, मुसाफ़िर हैं सारे,
मगर शिकवा है लब पे हमारे।
तुझे कितनी जल्दी खुदा ने बुलाया,
मोहम्मद रफ़ी, तू बहुत याद आया।

यह भी संगीत प्रेमियों के लिए दुखद है कि सादगी पसंद मोहम्मद रफ़ी 55 वर्ष की आयु में ही 31 जुलाई 1980 को हमसे जुदा हो गए। वहीं किशोर कुमार 58 वर्ष और मुकेश भी 53 वर्ष की आयु में ही दुनिया छोड़ गए। तीनों महान गायकों की मृत्यु हृदयाघात से हुई।